प्रकाशनार्थ

पटना, 19 नवम्बर ।

छः करोड़ रूपयों की लागत से राज्य सरकार ने मधुबनी जिला में पचास आवासीय क्षमता वाले पर्यवेक्षण गृह के निर्माण की स्वीकृति दी है । मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड में रांटी जेल के निकट चकदह में इसका निर्माण होगा ।

राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार 19 नवम्बर को अपनी बैठक में इसकी स्वीकृति दी है । इसके साथ ही जहानाबाद, सहरसा, सीवान, सासाराम, बेतिया, नवादा, मधेपुरा, खगड़िया, लखीसराय, बक्सर एवं सीतामढ़ी जिलों में भी 50 आवासीय क्षमता वाले पर्यवेक्षण गृह तथा गया में इतनी ही क्षमता वाले बाल गृह के निर्माण की भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी । प्रत्येक गृह के निर्माण पर 5 करोड़ 99 लाख 89 हजार 440 रूपये की लागत आएगी। इस दर से कुल 77 करोड़ 98 लाख 62 हजार, 720 रूपयों की प्रशासनिक स्वीकृति भी बैठक में दी गई ।

समाज कल्याण विभाग की इस महत्वकांक्षी योजना के कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त जिलों में भूमि उपलब्ध है । समाज कल्याण मंत्री के अपने कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने इसके निर्माण में शीघ्रता लाने का निर्देश विभाग को दिया था ।

उल्लेख्य है कि जुबेनाईल–जस्टिस एक्ट के तहत आरोपित बच्चों को पर्यवेक्षण गृह में रखे जाने का प्रावधान है ।